न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– प्रकाश राजपुरोहित (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 02/2024 (अपील)

रामस्वरूप पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी छिर्र तहसील दूदू जिला दूदू राज0।

(अपीलार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 27.2.2024 न्यायालय उप तहसीलदार साखून जिला दूदू मु0न0 47/2024 बउनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप अन्तर्गत धारा 91 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री रामसिंह बरडवाल विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।
2. पैरोकार सरकार (उप तहसीलदार साखून तह0 दूदू) रेस्पोडेन्ट की और से ।

निर्णय दिनांक :– 10.7.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाथी रामस्वरूप पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी छिर्र तहसील दूदू जिला दूदू राज0 ने धारा 75 राज. भू. राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत अपील इस आशय की पेश की गई कि न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू जिला दूदू ने दिनांक 27.2.2024 को प्रार्थी/ अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर फैसला कर दिया। अपीलान्ट की खातेदारी ख0न0 1698, 1699 है। जिसके लगवा ही आराजी ख0न0 1701, 1700 है जो सरकार भूमि है। अपीलान्ट ने अपनी आराजी व सरकारी भूमि के मध्य डोल व बाड लगा रखी थी एवं बाउण्ड्रीवाल बनाने हेतु पत्थर डाल रखे थे जिस पर प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही अमल में लाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने सीमाज्ञान

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

कर बताया कि यह भूमि तुम्हारी नही है तब अपीलार्थी ने सीमाज्ञान के अनुसार तारबंदी कर दी। तारबंदी के बाद पूर्व की बाड व पत्थर बाहर पडे रह गये इस पर प्रकरण संख्या 47/2024 दर्ज किया । दिनांक 27.2.2024 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी एक अनपढ किसान है जिसका वर्तमान में कोई अतिक्रमण नही है। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्व की गई एकतरफा कार्यवाही को अपास्त कर प्रार्थी के विरूद्व जारी किये गये सजा/दण्डादेश को निरस्त किया जावें। उक्त अपील में देरीना हुई, जिस हेतु अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.2.2024 निरस्त फरमाया जावे।

2. . यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उप तहसीलदार साखून तह0 दूदू से वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर शामिल मिसल की गई।
3. . बहस उभयपक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह ने अपनी बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू दिनांक 27.2.2024 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त व तथ्यो एवं कानून के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को बिना समझे एवं तथ्यों की जॉच किये बिना कतई परवर्स निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी को बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी अनपढ किसान व्यक्ति है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि सरकारी भूमि के लगवा होने से अपीलार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि समझते हुए ही बाड लगाई थी । पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान करने पर सरकारी भूमि से अपीलार्थी ने बाड को हटा लिया गया है। उप तहसीलदार साखून ने न्यायिक प्रकिया में विवेक का प्रयोग किये बिना ही गलत तरीके से अपीलार्थी को सिविल करावास का आदेश भी पारित किया है जो न्यायोचित नही है। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2024 अपास्त फरमाया जावे।
5. रेस्पोडेन्ट की और से पैरोकार सरकार उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि चरागाह ख0न0 1700, 1701 पर 0.25 है0 अनाधिकृत रूप से बाडा एवं पत्थर का मलबा डालकर रास्ता बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलार्थी द्वारा बार बार अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी के विरूद्व धारा 91(3) के तहत कार्यवाही की जाकर राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किये गये है। अधिनस्थ

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय का आदेश दिनाक 27.2.2024 न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया।

7. अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम छिर्र तहसील दूदू के ख0न0 1700 रकबा 0.13 है0 ख0न0 1701 रकबा 0.85 है0 किस्म चरागाह मे से 0.25 है0 भूमि पर अवैध रूप से बाडा एवं पत्थर का मलबा डालकर रास्ता बनाकर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये, अपीलार्थी नियत दिनांक को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को चरागाह भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण धारा 91(3) के तहत 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 27.2.2024 को पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार राज. भू राजस्व अधि. की धारा 91 के तहत अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही की है जो उचित है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू से वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसके अनुसार वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण पत्थर का मलबा डालकर तैयार किया रास्ता पूर्ववत यथावत है। अपील में वर्णित भूमि किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड है, राजकीय भूमि पर अपीलार्थी के कोई हक व अधिकार नही है। इसलिए अपील में वर्णित तथ्य अपीलार्थी के पक्ष में साबित नही होते है।

8. अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू जिला दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 47/2024 बउनवानी सरकार बनाम रामस्वरूप में पारित निर्णय दिनांक 27.2.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत उप तहसीलदार साखून तहसील दूदू को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 10.7.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
दूदू
दूदू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner